

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1990}

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय सड़क परिवहन योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 26 मई 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2— जहां मोटर यान अधिनियम, 1939 के निरसन के पूर्व, राज्य परिवहन उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68—ग के अधीन कोई योजना (स्कीम) तैयार या प्रकाशित की गई हो, वहां यह समझा जायेगा कि योजना राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा तैयार या प्रकाशित की गयी है और ऐसी योजना केवल इस आधार पर कि उसे ऐसे उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा तैयार या प्रकाशित किया गया था, अवैध या शून्य या कभी भी अवैध या शून्य हुई नहीं समझी जायेगी।

कतिपय योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन का विधिमान्यकरण

3— उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1990 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन